"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 8 जून 2012—ज्येष्ठ 18, शक 1934

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

RAJ BHAVAN, RAIPUR

Raipur, the 26th May, 2012

No. 1151/7664/2008/RS/U-9.—In continuation to Raj Bhavan Secretariat Notification Nos. 999/7664/2008/RS/U-9 dated 26-3-2012 on the request of the sole arbitrator the term of the tribunal to submit award is hereby extended further for three more months.

The other terms and conditions remain the same.

Sd/-
(SHEKHAR DUTT)
Governor of Chhattisgarh and Kuladhipati
of State Universities.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 मई 2012

क्रमांक 472/299/अव./2012/1-8/स्था.—श्री ए. के. दिघ्रस्कर (राप्रसे), विशेष सहायक, मान. मंत्री गृह, जेल एवं सहकारिता को दिनांक 14-5-2012 से 22-5-2012 तक 09 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 12-5-2012 एवं 13-5-2012 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री दिघ्रस्कर, आगामी आदेश तक मान. मंत्री गृह, जेल एवं सहकारिता विभाग के विशेष सहायक, पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री दिघ्रस्कर को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दिघ्रस्कर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 11 मई 2012

क्रमांक 474/309/अव./2012/1-8/स्था.—श्री प्रशांत लाल, शोध अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, को दिनांक 14-5-2012 से 18-5-2012 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 12, 13, 19 एवं 20-5-2012 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री प्रशांत लाल, आगामी आदेश तक शोध अधिकारी, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री प्रशांत लाल को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता हैं कि यदि श्री प्रशांत लाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 17 मई 2012

क्रमांक 476/352/अव./2012/1-8/स्था.—श्री सुनील विजयवर्गीय, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, को दिनांक 05-06-2012 से 23-06-2012 तक 19 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत कियां जाता है तथा दिनांक 03, 04, 09, 10, 16 एवं 17-06-2012 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सुनील विजयवर्गीय, आगामी आदेश तक अवर सचिव, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री सुनील विजयवर्गीय को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुनील विजयवर्गीय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 17 मई 2012

क्रमांक 478/372/अव./2012/1-8/स्था.—श्री मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, को दिनांक 10-5-2012 से 18-5-2012 तक 09 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 19 एवं 20-5-2012 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मुकुन्द गजभिये, आगामी आदेश तक अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री मुकुन्द गजभिये को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मुकुन्द गजभिये अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 17 मई 2012

क्रमांक 480/356/अव./2012/1-8/स्था.—श्री आर. सी. लेवे, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, को दिनांक 21-5-2012 से 26-5-2012 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 19, 20 एवं 27-5-2012 के शासकीय अवकाश को ज़ोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री आर. सी. लेवे, आगामी आदेश तक अवर सचिव, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री आर. सी. लेवे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. सी. लेवे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 22 मई 2012

क्रमांक 484/286/अव./2012/1-8/स्था.—श्री जेवियर केरकेट्टा, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग को दिनांक 07-05-2012 से 18-05-2012 तक 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 06, 19 एवं 20-05-2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री केरकेट्टा आगामी आदेश अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री केरकेट्टा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री केरकेट्टा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 22 मई 2012

क्रमांक 488/313/अव./2012/1-8/स्था.—श्री जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग को दिनांक 14-05-2012 से 18-05-2012 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 12, 13, 19 एवं 20-05-2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री शुक्ला, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री शुक्ला को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शुक्ला अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 26 मई 2012

क्रमांक 528/345/2012/1-8/स्था.—श्री सी. पी. साहू, अवर सचिव, वित्त विभाग को दिनांक 05-04-2012 से 16-04-2012 तक 12 दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सी. पी. साहू, अवर सचिव, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री साहू को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सी. पी. साहू अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 26 मई 2012

क्रमांक 532/294/2012/1-8/स्था.—श्री एस. के. चौधरी, उप सचिव, उच्च शिक्षा विभाग को दिनांक 23-04-2012 से 26-04-2012 तक 04 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, तथा दिनांक 22-04-2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. चौधरी, उप सचिव, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री चौधरी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. के. चौधरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 26 मई 2012

क्रमांक 534/297/2012/1-8/स्था.—श्री ऋषभ पाराशर, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, वित्त विभाग को दिनांक 30-04-2012 से 11-05-2012 तक 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, तथा दिनांक 29, 12 एवं 13-05-2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री ऋषभ पाराशर, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री पाराशर को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ऋषभ पाराशर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 26 मई 2012

क्रमांक 536/311/2012/1-8/स्था.—श्री वाय. पी. दुपारे, अवर सचिव, जनसंपर्क विभाग को दिनांक 25-04-2012 से 30-04-2012 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री वाय. पी. दुपारे, अवर सचिव, जनसंपर्क विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री दुपारे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री वाय. पी. दुपारे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 26 मई 2012

क्रमांक 538/1119/321/2012/1-8/स्था.—श्री संजय कनकने, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग को दिनांक 28-05-2012 से 02-06-2012 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, तथा दिनांक 27, 03 एवं 04-06-2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री संजय कनकने को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में श्री संजय कनकने को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय कनकने अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 26 मई 2012

क्रमांक 540/383/2012/1-8/स्था.—श्री पी. लकड़ा, वरिष्ठ लेखा अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, लेखा शाखा को दिनांक 28-05-2012 से 06-06-2012 तक 10 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, तथा दिनांक 27-05-2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पी. लकड़ा, वरिष्ठ लेखा अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, लेखा शाखा के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री लकड़ा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी. लकड़ा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 26 मई 2012

क्रमांक 542/306/2012/1-8/स्था.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 277-78/160/अव/2012/1-8/स्था., दिनांक 02-04-2012 द्वारा श्री बी. एल. सोनी, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 11-04-2012 से 20-04-2012 तक 10 दिवस स्वीकृत किये गये अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 21-04-2012 से 24-04-2012 तक 04 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. पैरा 2, 3 एवं 4 विभागीय आदेश दिनांक 02-04-2012 के अनुसार यथावत् होंगे.

रायपुर, दिनांक 28 मई 2012

क्रमांक 543/386/2012/1-8/स्था.—डॉ. संजय कुमार अलंग, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को दिनांक 18-06-2012 से 23-06-2012 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए दिनांक 16, 17 एवं 24-06-2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर डॉ. संजय कुमार अलंग, संयुक्त सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में डॉ. अलंग को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. संजय कुमार अलंग अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 28 मई 2012

क्रमांक 545/406/2012/1-8/स्था.—श्री कमर अली, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग को दिनांक 28-05-2012 से 02-06-2012 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, तथा दिनांक 27, 03 एवं 04-06-2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री कमर अली को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में श्री अली को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कमर अली अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 28 मई 2012

क्रमांक 547/384/2012/1-8/स्था.—श्री चन्द्रशेखर ओंकार (रा.वि.से), अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग को दिनांक 21-05-2012 से 26-05-2012 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, तथा दिनांक 19, 20 एवं 27-05-2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री चन्द्रशेखर ओंकार को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में श्री ओंकार को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री चन्द्रशेखर ओंकार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 28 मई 2012

क्रमांक 549/328/2012/1-8/स्था.—श्रीमती अमृता बेक, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, तकनीकी शिक्षा विभाग को दिनांक 10-05-2012 से 18-05-2012 तक 09 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, तथा दिनांक 19 एवं 20-05-2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती अमृता बेक को उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, तकनीकी शिक्षा विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में श्रीमती बेक को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अमृता बेक अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

रायपुर, दिनांक 28 मई 2012

क्रमांक 551/399/2012/1-8/स्था.—श्री एस. के. दुबे, उप संचालक, वित्तीय प्रकोष्ठ विभाग को दिनांक 05-06-2012 से 15-06-2012 तक 11 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, तथा दिनांक 03, 04, 16 एवं 17-06-2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. दुबे, उप संचालक, वित्तीय प्रकोष्ठ विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री दुबे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. के. दुबे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 28 मई 2012

क्रमांक 553/295/2012/1-8/स्था.—श्री राजभान सिंह, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग को दिनांक 24-04-2012 से 03-05-2012 तक 10 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री राजभान सिंह को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में श्री सिंह को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजभान सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. वर्मा, अवर सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2012

क्रमांक एफ 4-11/2012/16.—असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा असंगठित कर्मकारों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :—

मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार बीमा योजना :—

(अ) संक्षिप्त नाम, विस्तार, परिधि और लागू होना—

(i) यह योजना "मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार बीमा योजना 2012" कहलाएगी.

(ii) यह योजना संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील होगी.

(iii) यह योजना उन असंगठित कर्मकारों पर प्रभावशील होगी, जो अधिसूचित असंगठित कर्मकार है तथा अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत हिताधिकारी परिचय-पत्र धारी है.

(ब) परिभाषाएं— इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(i) "अधिनियम" से अभिप्रेत असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 (क्र. 33 सन् 2008);

(ii) "बोर्ड" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 6 के अधीन गठित "छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक-सुरक्षा बोर्ड";

(iii) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है, बोर्ड का अध्यक्ष;

(iv) "सदस्य" से अभिप्रेत है, बोर्ड का सदस्य;

(v) "धारा" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा;

(vi) "दुर्घटना" से तात्पर्य कार्य के दौरान, कार्य स्थल से घर आते-जाते समय अथवा अन्य किसी भी रूप में हिताधिकारी असंगठित कर्मकार के दुर्घटनाग्रस्त होने से है.

(v) "आश्रित" से आशय ऐसे पंजीकृत हिताधिकारी असंगठित श्रमिक का निम्नानुसार कोई भी रिश्तेदार, आश्रित माना जावेगा—
—पत्नी अथवा पति (यथास्थिति अनुसार)
—अवयस्क पुत्र
—अविवाहित पुत्री
—पूर्व मृतक बेटे की विधवा और बच्चे
—आश्रित माता-पिता

(vi) "परिवार" से आशय असंगठित कर्मकार के पति/पत्नी (यथास्थिति अनुसार) अवयस्क पुत्र, अविवाहित पुत्री, आश्रित माता-पिता और मृतक बेटे की विधवा एवं बच्चे सम्मिलित माने जाएंगे.

(vii) "नामिति" अथवा "नामिति" से आशय हिताधिकारी असंगठित कर्मकार द्वारा छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा नियम, 2010 के नियम 12 के प्रारूप (1) के अभिलेखित आश्रित में से कर्मकार द्वारा नाम निर्देशित किए गए नामिति से है.

(viii) निगम से आशय भारतीय जीवन बीमा निगम से है.

(ix) "मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार बीमा योजना" से आशय भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रवर्तित जनश्री बीमा योजना से है और इसमें निगम द्वारा समय-समय पर किए गए संशोधन भी शामिल है. परिभाषित न किए गए शब्दों का निर्वहन-उन शब्दों या पदों के संबंध में जो इस योजना में परिभाषित नहीं किए गए हैं, किन्तु अधिनियम/नियम में परिभाषित या प्रयुक्त हैं, वही अर्थ होगा जो अधिनियम/नियम में परिभाषित है.

(स) योजना का विवरण—

(i) असंगठित कर्मकारों को अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम (जिसे आगे केवल निगम कहा जावेगा) के सहयोग से "मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार बीमा योजना" असंगठित कर्मकारों के लिए जीवन बीमा द्वारा निर्धारित समस्त अनुलाभों सहित प्रभावशील होगी.

(ii) **पात्रता :**—

(1) 18 से 59 वर्ष की आयु समूह के असंगठित कर्मकार इस योजना के लिए पात्र होंगे.

(2) हिताधिकारी के रूप में मण्डल में पंजीकृत सभी असंगठित कर्मकार का इस योजना के अंतर्गत बीमा हो सकेगा.

(3) समूह की पात्रता और अधिसूचना जीवन बीमा निगम द्वारा नोडल एजेंसी अर्थात् बोर्ड की सलाह से निर्धारित की जाएगी.

(4) बोर्ड द्वारा हिताधिकारी असंगठित कर्मकार, जिनका धारा 10 के अंतर्गत पंजीयन होगा, के लिए यह योजना प्रवर्तित होगी.

(iii) हितलाभ :—

(1) सदस्य की सामान्य मृत्यु पर रुपये 30,000/-

(2) दुर्घटना में मृत्यु होने पर रुपये 75,000/-

(3) दुर्घटना में स्थायी पूर्ण अपंगता होने पर रुपये 75,000/-.

(4) दुर्घटना में एक अंग या एक हाथ या पांव अक्षम होने पर रुपये 37,500/- का लाभ श्रमिक/आश्रित को दिया जाएगा.

3. हिताधिकारी जब स्वयं को क्षति पहुंचाये, आत्महत्या (स्वघात) हो एवं अत्यधिक शराब के सेवन करने से मृत्यु होने पर,

4. पर्वतारोहण करते हुए, शिकार करते हुए, दंगा करते हुए, युद्ध करते हुए, (अघोषित युद्ध) हुल्लड़ करते हुए, (क्रमांक 1 एवं 2 की दशा में मृत्यु पर दुर्घटना मृत्यु का लाभ नहीं मिलेगा अपितु सामान्य मृत्यु पर योजना का लाभ प्रदाय किया जावेगा)

(iv) प्रीमियम राशि-प्रत्येक सदस्य के लिए रुपये 200/- वार्षिक प्रीमियम होगा जिसमें से 50 प्रतिशत अर्थात् रुपये 100/- जीवन बीमा निगम द्वारा वहन की जावेगी.

(v) नोडल एजेंसी-हिताधिकारी असंगठित कर्मकारों के संबंध में बोर्ड नोडल एजेंसी होगा तथा बोर्ड एवं जीवन बीमा निगम द्वारा सभी परिचय-पत्र धारी श्रमिकों की ओर से बीमा संबंधी औपचारिकताएं पूरी की जावेंगी.

(द) दावा कार्य प्रणाली—

(i) बीमित मृत सदस्य के नामिति या आश्रित को मृत्यु प्रमाण-पत्र की मूल प्रति अन्य विवरण सहित प्रपत्र-एक में नोडल एजेंसी (जिला कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी) को देनी होगी. नोडल एजेंसी द्वारा दावा फार्म भारतीय जीवन बीमा निगम की शाखा में भेजते हुए बोर्ड को अवगत करायेगा तथा भारतीय जीवन निगम द्वारा दावे का निपटारा एकाउण्ट पेयी चेक बोर्ड के नाम से जारी कर किया जावेगा. दुर्घटना से मृत्यु होने की स्थिति में उपयुक्त विवेचना तथा प्रमाणिकता साबित होने पर बोर्ड द्वारा बीमित अथवा आश्रित या नामिति को देय दावा राशि के अधिकतम 50 प्रतिशत राशि का भुगतान एकाउण्ट पेयी चेक से किया जा सकेगा शेष दावा राशि का भुगतान बीमित या नामित को, निगम से दावे का भुगतान प्राप्त होने पर किया जावेगा.

(iii) जिला कलेक्टर द्वारा अधिकृत कार्यालय (जिला पंचायत, नगरीय निकाय एवं श्रम विभाग के अधिकारी) में बीमित सदस्यों से दावा प्रार्थना पत्र और शिक्षा सहयोग योजना के आवेदन प्राप्त करने, उनकी जांच करने और दावा राशि का भुगतान संबंधित को करने के लिए बोर्ड की ओर से अधिकृत एजेंसी होंगे. बोर्ड द्वारा अन्य किसी विभाग के कार्यालयों को अधिकृत एजेंसी बनाया जा सकेगा.

(द) **अन्य लाभ :—** शिक्षा सहयोग का लाभ-मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार बीमा योजना के धारकों को दो बच्चों तक कक्षा 9 से 12 तक एवं आईटीआई में प्रवेश पाने वाले बच्चों को दो वर्ष तक के लिए 100/- प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जावेगी. शिक्षा सहयोग योजनान्तर्गत हिताधिकारी को अथवा नोडल एजेंसी (बोर्ड) का कोई पृथक, प्रीमियम नहीं होगा.

(ई) **मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार बीमा योजना की प्रक्रिया :—** बोर्ड द्वारा प्रदेश में पंजीबद्ध किए गए असंगठित कर्मकारों की सूची, जिसमें असंगठित कर्मकारों का नाम, आयु तथा उनके नामांकितों (आश्रितों) का पता सम्मिलित होगा, भारतीय जीवन बीमा निगम को असंगठित कर्मकारों को "मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार बीमा योजना" की परिधि में लाने के लिए उपलब्ध करायी जावेगी तथा असंगठित कर्मकारों के "मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार बीमा योजना" हेतु 100/- रुपये प्रति सदस्य प्रीमियम बोर्ड द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम को अदा किया जायेगा.

(फ) **विसंगति का निराकरण :—** योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़, असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल का इस संबंध में निर्णय अंतिम माना जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. आर. मालवीय, उप-सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2012

क्रमांक एफ 4–47/2006/स्था/32.— छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल अधिनियम, 1972 की धारा 17 तथा धारा 103 (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मण्डल राज्य शासन के अनुमोदन से निम्नलिखित विनियम बनाते हैं अर्थात्;

यह विनियम छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल विनियम, 2011 कहलायेंगे तथा 1986, 1990, 1998 में संशोधित मध्यप्रदेश गृह निर्माण विनियम, 1977 का स्थान लेंगे । इन विनियम के प्रभाव में आने के पश्चात् पूर्व में मण्डल द्वारा जारी सभी नियम, विनियम परिपत्र, निर्देश तथा अधिसूचनायें एतद् द्वारा उस सीमा तक प्रभावहीन किये जाते हैं, जहाँ तक वे इन विनियम के प्रावधानों से मेल न खाते हों ।

1. **संक्षिप्त नाम :–**

(1) ये विनियम छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल सेवा (भर्ती) विनियम, 2011 कहलायेंगे ।

(2) ये विनियम छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषायें** :– इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों, –

1. "अधिनियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल अधिनियम, 1972 (कमांक–3, सन् 1973)

2. "चयन समिति" से अभिप्रेत है, सीधी भर्ती के लिए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित चयन समिति ।

3. "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, ऐसा प्राधिकारी जो मण्डल अधिनियम, 1972 की धारा 14 तथा 16 के अधीन नियुक्तियां तथा पदोन्नतियां करने के लिए सक्षम हों तथा जिसे इन विनियमों के संलग्न अनुसूची–एक में सशक्त किया हो ।

4. "शासन" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन ।

5. "मण्डल" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल अधिनिमय, 1972 (कमांक–3, सन् 1973) के अंतर्गत गठित मण्डल ।

6. "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन विनियमों से संलग्न अनुसूची ।

"अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद–341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति ।

8. "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद–342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति ।

9. "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, समय–समय पर यथासंशोधित अधिसूचना क्र. एफ 8–5–पच्चीस–4–84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़ा वर्ग ।

10. "सेवा" से अभिप्रेत है, मण्डल के कार्यो से संबंधित पदों के सेवा संवर्ग से है ।

11. "पदोन्नति समिति" से अभिप्रेत है, जो अनुसूची चार निर्दिष्ट है ।

12. "विभागीय चयन समिति" से अभिप्रेत है, वह समिति जो नियम, 11 के अधीन गठित की गई हो

13. "राज्य" से अभिप्राय है, छत्तीसगढ़ राज्य ।

3. **विस्तार तथा लागू होना** :– ये विनियम मण्डल की सेवा के प्रत्येक सदस्य को लागू होंगे।

4. **सेवा का गठन** :– सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :–

(1) वे व्यक्ति जो इन विनियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूलतः धारण कर रहे हों ।

(2) वे व्यक्ति जो इन विनियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भरती किये गये हों; और।

(3) वे व्यक्ति जो इन विनियमों के उपबन्धों के अनुसार सेवा में भरती किये गये हों ।

5. **वर्गीकरण – वेतनमान आदि** :–

(1) सेवा का वर्गीकरण, उनसे संलग्न वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या, अनुसूची–एक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगी;

परंतु मण्डल, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में, शासन की अनुमति से समय–समय पर या तो स्थायी या अस्थायी तौर पर वृद्धि या कमी कर सकेगा ।

6. **भर्ती का तरीका** :–

(1) इन विनियमों के प्रवृत्त होने के पश्चात् सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी, अर्थात् :–

(क) प्रतियोगिता परीक्षा या मैरिट के आधार पर चयन एवं साक्षात्कार द्वारा, सीधी भर्ती द्वारा;

(ख) पदोन्नति द्वारा, जैसा कि अनुसूची–चार में विनिर्दिष्ट है;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मौलिक या स्थानापन्न हैसियत से धारण करते हों, जैसा कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाये ।

(2) उप नियम (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची–दो में दर्शाये गये पदों की संख्या एवं प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी ।

(3) इन विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिये अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को, भरे जाने के प्रयोजन के लिए अपनायी जाने वाले भर्ती के तरीके और ऐसे प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जाएगी ।

(4) उप नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि मण्डल की राय में, सेवा की आवश्कताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो तो शासन की पूर्व सहमति से, सेवा में भर्ती के उन तरीकों को छोड़ जिनको उक्त उप विनियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इस निमित जारी किए गए आदेश द्वारा विहित करें ।

(5) मेरिट के आधार पर चयन द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से पदों को भरे जाने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मानदण्ड निर्धारित किए जाएंगे । तथापि नियुक्ति प्राधिकारी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह एक चयन समिति गठित करे ।

(6) भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) में अंतर्विष्ट प्रावधान लागू होंगे ।

7. **सेवा में नियुक्ति** :– इन विनियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियाँ, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम–6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएंगी, अन्यथा नहीं ।

8. **सीधी भरती के लिए पात्रता की शर्तें** :– चयन के लिए पात्र होने के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात्;

(1) आयु :–

(क) विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख के ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को अभ्यर्थी ने अनुसूची तीन के कॉलम (3) में यथानिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो एवं उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथानिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो ।

(ख) यदि अभ्यर्थी अनूसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग (गैर क्रीमिलियर) का हो, तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के नियम–(4) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थी के लिए उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष शिथिलनीय होगी ।

(घ) उन अभ्यर्थी के संबंध में जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हो या रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तो के अध्यधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा में छूट दी जावेंगी :–

(एक) ऐसा अभ्यर्थी , जो स्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए ।

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी शासकीय सेवक हो, तथा किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए । यह रियायत् आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत् कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी ।

(तीन) ऐसे अभ्यर्थी, "जो छटनी किये गये शासकीय सेवक" हों, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक–से–अधिक सात वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, परंतु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो ।

स्पष्टीकरण :– शब्द "छटनी किये गये शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्ही भी संघटक इकाईयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम–से–कम छः माह तक की कालावधि तक निरंतर रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक–से–अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(ड.) ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा से सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा;

परंतु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो ।

स्पष्टीकरण :– शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गो में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम–से–कम छः माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक–से–अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी की गई हो या जिसे अतिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो :–

(1) ऐसा भूतपूर्व सैनिक जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आऊट कन्सेशेन्स) के अधीन मुक्त कर दिया गया हो;

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो, और जिन्हें –

(क) अल्पकालीन वचनबद्ध अवधि पूर्ण हो जाने पर;

(ख) नामांकन संबंधी शर्ते पूर्ण हो जाने पर, सेवामुक्त कर दिया गया हो;

(3) मद्रास सिविल इकाई के भूतपूर्व कार्मिक;

(4) उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किये गये अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) (जिसमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमिशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं);

(5) अवकाश पर निरंतर रहने के कारण छः माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किये गये अधिकारी;

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो;

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है, कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं है;

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो ।

(च) उन अभ्यर्थियों के लिए भी परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीन कार्ड धारक है, उच्चतर आयु सीमा 2 (दो) वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(छ) अनुसूचितजनजाति, अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दंपत्ति के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(ज) शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान एवं महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव सम्मान प्राप्त तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 (पांच) वर्ष शिथिलनीय होगी ।

(झ) ऐसे अभ्यर्थी, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष की आयु सीमा तक शिथिलनीय होगी ।

(ञ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नॉन कमीशंड अधिकारियों के संबंध में, उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु सीमा में 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जायेगी, किंतु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 (अड़तीस) वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

टिप्पणी :–

(1) उपरोक्त विनियम–8 (घ) (एक) तथा (दो) में वर्णित आयु संबंधी रियायतों के अधीन जिन अभ्यर्थी को परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो, वे यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्याग पत्र दे देतें है, तो नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छंटनी कर दी जाती हो, तो पात्र बने रहेंगे ।

(ट) आयु सीमा के संबंध में, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेश लागू रहेंगे ।

(ठ) किसी भी अभ्यर्थी को उपरोक्त उल्लेखित किसी एक या अधिक आधार पर छूट का लाभ दिये जाने के उपरांत भी मण्डल की सेवा में नियुक्ति हेतु उच्चतर आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(2) **शैक्षणिक अर्हता** :— अभ्यर्थी के पास सेवा के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए, जैसा कि अनुसूची—तीन में दर्शायी गई है ।

(3) **फीस** :— अभ्यर्थी को मण्डल द्वारा विहित फीस का भुगतान करना होगा ।

9. **निरर्हता** :— अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्ही भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा/साक्षात्कार या चयन के लिए उसे निरर्हित माना जा सकेगा ।

10. **अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा**:— परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए किसी भी अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा और कोई भी अभ्यर्थी जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।

11. **प्रतियोगिता परीक्षा/चयन द्वारा सीधी भर्ती** :—

(1) प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती :— राज्य शासन द्वारा एक चयन समिति गठित करेगा जिसमें तीन सदस्य समाविष्ट होंगे :—

(एक) सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा, ऐसे अंतरालों से ली जायेगी, जैसे कि नियुक्ति प्राधिकारी समय—समय पर अवधारित करें।

(दो) परीक्षा, मण्डल द्वारा समय—समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ली जायेगी ।

(2) चयन द्वारा सीधी भर्ती :—

(एक) सेवा में सीधी भर्ती के लिए चयन ऐसे अंतरालों से किया जायेगा, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये ।

(दो) अभ्यर्थियों का चयन, साक्षात्कार के आधार चयन समिति द्वारा किया जायेगा।

(तीन) चयन समिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समुचित समय अंतरालों में गठित की जायेगी ।

(3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए, सीधी भर्ती के प्रक्रम में पदों को, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) में अंतर्विष्ट उपबंधों तथा राज्य शासन द्वारा समय—समय पर जारी आदेशों के अनुसार आरक्षित रखा जायेगा ।

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय उन अभ्यर्थियों कि जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, नियुक्ति हेतु उसी कम में विचार किया जायेगा, जिस कम में उनके नाम विनियम—12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षित रैंक कुछ भी क्यों न हो ।

(5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिए समिति द्वारा उपयुक्त घोषित किया गया हो, उप–नियम (3) के अधीन, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति किया जा सकेगा ।

(6) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, 30 प्रतिशत पद महिला अभ्यर्थी के लिए आरक्षित रखे जायेंगे।

(7) ऐसे मामलों में, जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया हो और सक्षम प्राधिकारी की राय में यह पाया जाता है, कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के संबंध में अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा ।

(8) सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश के अनुसरण में, विकलांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण रहेगा ।

12. **चयन समिति द्वारा सिफारिश की गई अभ्यर्थियों की सूची :–**

(1) नियुक्ति प्राधिकारी उन अभ्यर्थियों की जो ऐसे स्तर से अर्हित हो, योग्यता क्रम में व्यवस्थित एक सूची जैसा कि चयन समिति द्वारा अवधारित किया जाये तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित उन अभ्यर्थियों की पृथक सूची जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं है किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिये चयन समिति द्वारा उपयुक्त घोषित किया गया हो, शासन को अग्रेषित करेगा। यह सूची सामान्य जानकारी के लिये भी प्रकाशित की जायेगी।

(2) इन विनियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधो के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों।

(3) सूची में अभ्यर्थियों का नाम शामिल किये जाने से ही उसे नियुक्ति के लिये कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच के पश्चात् जैसे कि आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

13. **परिवीक्षा** :– सेवा में सीधी भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

14. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति :–**

(1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिये एक समिति गठित की जायेगी किन्तु इस विनियम के अधीन, समिति के गठन के प्रयोजन के लिये छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) धिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 8 में अन्तर्विष्ट उपबंधों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(2) समिति की बैठक ऐसे अंतरालों में होगी जो साधारणतः एक वर्ष से अधिक की न हो।

(3) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार पदोन्नति की जायेगी।

(4) रिक्तियों पर पदोन्नति करने हेतु प्रकिया, उपरोक्त विनियम (3) में उल्लेखित विनियम एवं शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगी।

15. **पदोन्नति/स्थानान्तरण के लिये पात्रता की शर्तें :–**

(1) उप–विनियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, समिति, उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को उन पदों में या मण्डल द्वारा उनके समतुल्य घोषित किन्हीं अन्य पद या पदों पर, जिनसे पदोन्नति की जानी है, उतने वर्षो की सेवा (चाहे मूल रूप में या स्थानापन्न रूप में) जैसा कि अनुसूची–चार के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है, पूर्ण कर ली हो और जो उप–विनियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र के भीतर आते हों।

स्पष्टीकरण – पदोन्नति के लिये पात्रता हेतु संगणना की रीति – संबंधित वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की अवधि की गणना, उस कैलेण्डर वर्ष से की जायेगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया है और फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं।

(2) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण रखे जायेंगे।

(3) शासन द्वारा पदोन्नति हेतु निर्धारित आरक्षण रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की जायेगी।

16. **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना :–**

(1) विभागीय पदोन्नति समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी जो विनियम 15 में विहित शर्तों को पूरी करते हो तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझा गया हो। यह सूची, इस प्रकार चयन सूची तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति/पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी।

(2) ऐसी चयन सूची की तैयारी के समय, सूची में सम्मिलित व्यक्तियों के नाम, अनुसूचा–चार के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट सेवा या पदों में वरिष्ठता के कम में रखे जायेंगे।

स्पष्टीकरण :– ऐसा व्यक्ति, जिनका नाम चयन सूची में शामिल किया गया.ह किन्तु जिसे सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया है, केवल उसके पूर्वोत्तर चयन के तथ्य से ही उनके ऊपर जिन पर पश्चात्वर्ती चयन में विचार किया गया है, ज्येष्ठता का कोई दावा नहीं होगा।

17. **चयन सूची :–**

(1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित की गई सूची, अनुसूची–चार के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट पदों से, अनुसूची–चार के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट पदों पर, सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिये चयन सूची होगी।

(2) पदोन्नति के लिये ऐसी चयन सूची, उस कैलेण्डर वर्ष जिसके लिये वह तैयार की गई है, के लिये ही मान्य होगी;

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी अभ्यर्थी के द्वारा कर्तव्य के निर्वहन अथवा पालन में कोई गंभीर चूक होने की स्थिति में, मण्डल के कहने पर, चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि वह उचित समझे तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा।

18. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति** :—

(1) चयन सूची में सम्मिलित कर्मचारियों की सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्तियां, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 में अन्तर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।

(2) साधारणतः ऐसा कोई व्यक्ति जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित हो, सेवा में नियुक्ति के पूर्व समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि में, उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ जाये, जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा में नियुक्ति के लिये उसे अनुपयुक्त सिद्ध करता हो।

19. **उपयुक्तता के लिये परीक्षण** :— सेवा में पदोन्नति से नियुक्त किये गये प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिये स्थानापन्न हैसियत में नियुक्त किया जायेगा।

20. **निर्वचन** :— यदि इन विनियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो, तो उसे मण्डल के परामर्श से शासन को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर शासन का विनिश्चय अंतिम होगा।

21. **शिथिलीकरण** :— इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये विनियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की शासन की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत तथा साम्यपूर्ण प्रतीत हो, सीमित या कम करती है;

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा जो इन विनियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो।

22. **व्यावृति** :— इन विनियमों में दी गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये, राज्य शासन द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार दिये जाने वाले अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।

23. **निरसन तथा व्यावृति** :— इन विनियमों के तत्स्थानी और इन विनियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त विनियम, इन विनियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित विनियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्यवाही, इन विनियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जाएगी।

छत्तीसगढ़ राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, आयुक्त.

अनुसूची–एक (कर्त्तव्य पद)

विनियम 4 तथा 5 देखिए

अ.क.	सेवा में सम्मिलित पदों का नाम	स्वीकृत पदो की कुल संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड	नियुक्ति प्राधिकारी	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
1	आयुक्त	1	प्रथम श्रेणी	37400–67000 (ग्रेड वेतन–10000)	भारतीय प्रशासनिक / अखिल भारतीय सेवा के सचिव स्तर के अधिकारी की नियुक्ति राज्य शासन के द्वारा मण्डल अधिनियम 1972 की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रावधानित है।	–
2	अपर आयुक्त / मुख्य अभियंता (सिविल)	1	प्रथम श्रेणी	37400–67000 (ग्रेड वेतन–8900)	आयुक्त	–
3	मुख्य लेखा अधिकारी	1	प्रथम श्रेणी	37400–67000 (ग्रेड वेतन–8700)	तदैव	–
4	मुख्य संपदा अधिकारी	1	प्रथम श्रेणी	15600–39100 (ग्रेड वेतन–7600)	तदैव	–
5	उपायुक्त (सिविल)	2	प्रथम श्रेणी	15600–39100 (ग्रेड वेतन–7600)	तदैव	–
6	कार्यपालन अभियंता (सिविल)	13	प्रथम श्रेणी	15600–39100 (ग्रेड वेतन–6600)	तदैव	–
7.	कार्यपालन अभियंता (विद्युत)	1	प्रथम श्रेणी	15600–39100 (ग्रेड वेतन–6600)	तदैव	–

1	2	3	4	5	6	7
8	वास्तुविद्	0	प्रथम श्रेणी	15600—39100 (ग्रेड वेतन—6600)	तदैव	नवीन पद प्रस्तावित
9	लेखा अधिकारी	2	प्रथम श्रेणी	15600—39100 (ग्रेड वेतन—6600)	तदैव	—
10	संपदा अधिकारी	1	प्रथम श्रेणी	15600—39100 (ग्रेड वेतन—6600)	तदैव	—
11	प्रशासकीय अधिकारी	2	प्रथम श्रेणी	15600—39100 (ग्रेड वेतन—6600)	रा.प्र.से. के अधिकारी की प्रतिनियुक्ति से/आवश्यकता अनुसार इसी सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी की संविदा नियुक्ति से	—
12	भू—अर्जन अधिकारी	1	प्रथम श्रेणी	15600—39100 (ग्रेड वेतन—6600)	तदैव	—
13	सिस्टम विशलेषक	0	प्रथम श्रेणी	15600—39100 (ग्रेड वेतन—6600)	आयुक्त	नवीन पद प्रस्तावित
14	स्टॉफ ऑफिसर	0	द्वितीय श्रेणी	15600—39100 (ग्रेड वेतन—6600)	तदैव	नवीन पद प्रस्तावित
15	सहायक अभियंता (सिविल)	38	द्वितीय श्रेणी	15600—39100 (ग्रेड वेतन—5400)	तदैव	—
16	सहायक अभियंता (विद्युत)	5	द्वितीय श्रेणी	15600—39100 (ग्रेड वेतन—5400)	तदैव	—
17	सहायक वास्तुविद्	0	द्वितीय श्रेणी	15600—39100 (ग्रेड वेतन—5400)	तदैव	नवीन पद प्रस्तावित
18	मार्केटिंग मैनेजर	0	द्वितीय श्रेणी	15600—39100 (ग्रेड वेतन—5400)	तदैव	नवीन पद प्रस्तावित

1	2	3	4	5	6	7
19	प्रोग्रामर (GIS & IT)	0	द्वितीय श्रेणी	15600–39100 (ग्रेड वेतन–5400)	तदैव	नवीन पद प्रस्तावित
20	प्रयोगशाला प्रभारी	1	द्वितीय श्रेणी	15600–39100 (ग्रेड वेतन–5400)	तदैव	–
21	शाखा अधिकारी	3	द्वितीय श्रेणी	15600–39100 (ग्रेड वेतन–5400)	तदैव	–
22	संपदा प्रबंधक	10	द्वितीय श्रेणी	15600–39100 (ग्रेड वेतन–5400)	तदैव	–
23	निज सचिव	2	द्वितीय श्रेणी	15600–39100 (ग्रेड वेतन–5400)	आयुक्त	–
24	विधि सलाहकार	0	द्वितीय श्रेणी	15600–39100 (ग्रेड वेतन–5400)	तदैव	नवीन पद प्रस्तावित
25	वन अधिकारी	0	द्वितीय श्रेणी	15600–39100 (ग्रेड वेतन–5400)	तदैव	नवीन पद प्रस्तावित
26	हार्टीकल्चरिस्ट	0	द्वितीय श्रेणी	15600–39100 (ग्रेड वेतन–5400)	तदैव	नवीन पद प्रस्तावित
27	जन संपर्क अधिकारी	0	द्वितीय श्रेणी	15600–39100 (ग्रेड वेतन–5400)	तदैव	नवीन पद प्रस्तावित
28	लेखापाल	16	तृतीय श्रेणी	9300–34800 (ग्रेड वेतन 4300)	तदैव	इनमें से 07 पद सांख्येत्तर तथा 05 पद प्रतिनियुक्ति हेतु आरक्षित
29	ऑडिटर	0	तृतीय श्रेणी	9300–34800 (ग्रेड वेतन 4300)	तदैव	नवीन पद प्रस्तावित
30	मिडिया मैनेजर	0	तृतीय श्रेणी	9300–34800 (ग्रेड वेतन 4300)	तदैव	नवीन पद प्रस्तावित

1	2	3	4	5	6	7
31	सहायक प्रोग्रामर	0	तृतीय श्रेणी	9300–34800 (ग्रेड वेतन 4300)	तदैव	नवीन पद प्रस्तावित
32	स्टेनोग्राफर ग्रेड–2	3	तृतीय श्रेणी	9300–34800 (ग्रेड वेतन 4300)	तदैव	–
33	मानचित्रकार	7	तृतीय श्रेणी	9300–34800 (ग्रेड वेतन 4300)	तदैव	इनमें से 04 मृत संवर्ग के अंतर्गत तथा 03 पद प्रतिनियुक्ति हेतु आरक्षित
34	रेंज ऑफिसर	0	तृतीय श्रेणी	9300–34800 (ग्रेड वेतन 4300)	तदैव	नवीन पद प्रस्तावित
35	उप अभियंता (सिविल)	113	तृतीय श्रेणी	9300–34800 (ग्रेड वेतन 4200)	तदैव	इनमें से 02 पद प्रतिनियुक्ति हेतु आरक्षित
36	उप अभियंता (विद्युत)	11	तृतीय श्रेणी	9300–34800 (ग्रेड वेतन 4200)	तदैव	इनमें से 01 पद सांख्येत्तर
37	वर्क सुपरवाईजर	0	तृतीय श्रेणी	5200–20200 (ग्रेड वेतन 2800)	तदैव	नवीन पद प्रस्तावित
38	सहायक संपदा प्रबंधक	5	तृतीय श्रेणी	5200–20200 (ग्रेड वेतन 2800)	तदैव	इनमें से 01 पद प्रतिनियुक्ति हेतु आरक्षित
39	स्टेनोग्राफर ग्रेड–3	6	तृतीय श्रेणी	5200–20200 (ग्रेड वेतन 2800)	तदैव	इनमें से 01 पद सांख्येत्तर तथा 02 पद प्रतिनियुक्ति हेतु आरक्षित
40	सहायक मानचित्रकार	4	तृतीय श्रेणी	5200–20200 (ग्रेड वेतन 2800)	तदैव	इनमें से 02 मृत संवर्ग के अंतर्गत तथा 02 पद प्रतिनियुक्ति हेतु आरक्षित
41	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	1	तृतीय श्रेणी	5200–20200 (ग्रेड वेतन 2800)	तदैव	–

1	2	3	4	5	6	7
42	ऑटोकेड ऑपरेटर	0	तृतीय श्रेणी	5200—20200 (ग्रेड वेतन 2800)	तदैव	नवीन पद प्रस्तावित
43	वरिष्ठ सहायक	83	तृतीय श्रेणी	5200—20200 (ग्रेड वेतन 2400)	तदैव	इनमें से 14 पद सांख्येत्तर तथा 17 पद प्रतिनियुक्ति हेतु आरक्षित
44	सहायक ग्रेड—3	100	तृतीय श्रेणी	5200—20200 (ग्रेड वेतन 1900)	तदैव	इनमें से 01 पद सांख्येत्तर तथा 11 पद प्रतिनियुक्ति हेतु आरक्षित
45	स्टेनोटायपिस्ट	2	तृतीय श्रेणी	5200—20200 (ग्रेड वेतन 1900)	तदैव	—
46	वाहन चालक	10	तृतीय श्रेणी	5200—20200 (ग्रेड वेतन 1900)	तदैव	इनमें से 04 पद सांख्येत्तर
47	सहायक कार्यभारित	3	चतुर्थ श्रेणी	5200—20200 (ग्रेड वेतन 1800)	तदैव	इनमें से 02 मृत संवर्ग के अंतर्गत
48	विद्युतकार / विद्युतकार कार्यभारित	6	चतुर्थ श्रेणी	5200—20200 (ग्रेड वेतन 1800)	तदैव	इनमें से 03 मृत संवर्ग के अंतर्गत
49	वायरमेन	4	चतुर्थ श्रेणी	5200—20200 (ग्रेड वेतन 1800)	तदैव	इनमें से 02 मृत संवर्ग के अंतर्गत
50	समयपाल	5	चतुर्थ श्रेणी	5200—20200 (ग्रेड वेतन 1800)	तदैव	इनमें से 03 मृत संवर्ग के अंतर्गत
51	दफ्तरी	9	चतुर्थ श्रेणी	4750—7440 (ग्रेड वेतन 1400)	तदैव	इनमें से 02 पद सांख्येत्तर
52	प्लंबर	2	चतुर्थ श्रेणी	4750—7440 (ग्रेड वेतन 1300)	तदैव	इनमें से 01 मृत संवर्ग के अंतर्गत

1	2	3	4	5	6	7
53	कारपेंटर	3	चतुर्थ श्रेणी	4750–7440 (ग्रेड वेतन 1300)	तदैव	इनमें से 02 मृत संवर्ग के अंतर्गत
54	पंप चालक	37	चतुर्थ श्रेणी	4750–7440 (ग्रेड वेतन 1300)	तदैव	इनमें से 20 मृत संवर्ग के अंतर्गत
55	माली	2	चतुर्थ श्रेणी	4750–7440 (ग्रेड वेतन 1300)	तदैव	इनमें से 01 मृत संवर्ग के अंतर्गत
56	तकनीकीकर्मी	81	चतुर्थ श्रेणी	4750–7440 (ग्रेड वेतन 1300)	तदैव	इनमें से 81 मृत संवर्ग के अंतर्गत
57	**सयंत्रकर्मी**	27	चतुर्थ श्रेणी	4750–7440 (ग्रेड वेतन 1300)	तदैव	प्रतिनियुक्ति
58	**स्वीपर**	26	चतुर्थ श्रेणी	4750–7440 (ग्रेड वेतन 1300)	तदैव	इनमें से 13 मृत संवर्ग के अंतर्गत
59	**मेसन**	2	चतुर्थ श्रेणी	4750–7440 (ग्रेड वेतन 1300)	तदैव	इनमें से 01 मृत संवर्ग के अंतर्गत
60	**भृत्य कार्यभारित**	10	चतुर्थ श्रेणी	4750–7440 (ग्रेड वेतन 1300)	तदैव	इनमें से 09 मृत संवर्ग के अंतर्गत
61	भृत्य/चौकीदार	117	चतुर्थ श्रेणी	4750–7440 (ग्रेड वेतन 1300)	तदैव	इनमें से 31 पद सांख्येत्तर तथा 26 पद प्रतिनियुक्ति हेतु आरक्षित
62	दैनिक वेतनभोगी	133	–	कलेक्टर दर		इनमे से 102 मृत संवर्ग के अंतर्गत
	योग	**913**				

अनुसूची–दो

विनियम 6 एक देखिए

अ.क.	सेवा में सम्मिलित पदों का नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत		अन्य सेवा से अस्थायी स्थानांतरण एवं प्रतिनियुक्ति द्वारा	टिप्पणियां
			चयन द्वारा सीधी भर्ती	सेवा के स्थानापन/मूल सदस्यों की पदोन्नति द्वारा		
1	2	3	4	5	6	7
1	आयुक्त	1	–	–	100 प्रतिशत	राज्य शासन द्वारा अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी की पदस्थापना से ।
2	अपर आयुक्त/मुख्य अभियंता (सिविल)	1	–	100 प्रतिशत		
3	मुख्य लेखा अधिकारी	1	–	100 प्रतिशत		
4	मुख्य संपदा अधिकारी	1	–	100 प्रतिशत		
5	उपायुक्त (सिविल)	2	–	100 प्रतिशत		
6	कार्यपालन अभियंता (सिविल)	13	–	100 प्रतिशत		–
7	कार्यपालन अभियंता (विद्युत)	1	–	100 प्रतिशत		–
8	वास्तुविद्	0		100 प्रतिशत		नवीन पद प्रस्तावित
9	लेखा अधिकारी/संपदा अधिकारी	3	–	100 प्रतिशत	योग्य अधिकारी उपलब्ध न होने पर छत्तीसगढ़ वित्त तथा लेखा सेवा के अधिकारी की प्रतिनियुक्ति से ।	–
10	प्रशासकीय अधिकारी	2	–	–	100 प्रतिशत राज्य प्रशासनिक सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान के अधिकारी की प्रतिनियुक्ति से	

1	2	3	4	5	6	7
11	भू–अर्जन अधिकारी	1	—	—	100 प्रतिशत राज्य प्रशासनिक सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान के अधिकारी की प्रतिनियुक्ति से	
12	सिस्टम विशलेषक	0	—	—	योग्य अधिकारी उपलब्ध न होने पर छत्तीसगढ़ शासन के समकक्ष सेवा के अधिकारी की प्रतिनियुक्ति से ।	नवीन पद प्रस्तावित
13	स्टॉफ ऑफिसर	0		100 प्रतिशत		नवीन पद प्रस्तावित
14	सहायक अभियंता (सिविल)	38	25 प्रतिशत	75 प्रतिशत		डिग्री से 20 प्रतिशत, डिप्लोमा से 50 प्रतिशत तथा मानचित्रकार से 5 प्रतिशत एवं स्वीकृत पद के अतिरिक्त 108 पद प्रस्तावित
15	सहायक अभियंता (विद्युत)	5	25 प्रतिशत	75 प्रतिशत		डिग्री से 20 प्रतिशत, डिप्लोमा से 50 प्रतिशत तथा मानचित्रकार से 5 प्रतिशत
16	सहायक वास्तुविद्	0	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत		नवीन पद प्रस्तावित
17	मार्केटिंग मैनेजर	0			छत्तीसगढ़ शासन के समकक्ष सेवा के अधिकारी की प्रतिनियुक्ति/संविदा से ।	नवीन पद प्रस्तावित
18	प्रोग्रामर (GIS & IT)	0		100 प्रतिशत	योग्य अधिकारी उपलब्ध न होने पर छत्तीसगढ़ शासन के समकक्ष सेवा के अधिकारी की प्रतिनियुक्ति से ।	नवीन पद प्रस्तावित

1	2	3	4	5	6	7
19	प्रयोगशाला प्रभारी	1	—		मण्डल के सेवा सदस्यों के अस्थायी स्थानांतरण द्वारा	—
20	संपदा प्रबंधक/शाखा अधिकारी	13		100 प्रतिशत		—
21	निज सचिव	2	—	100 प्रतिशत		—
22	विधि सलाहकार	0			छत्तीसगढ़ शासन के समकक्ष सेवा के अधिकारी की प्रतिनियुक्ति/संविदा से ।	नवीन पद प्रस्तावित
23	वन अधिकारी	0			छत्तीसगढ़ शासन के समकक्ष सेवा के अधिकारी की प्रतिनियुक्ति/संविदा से ।	नवीन पद प्रस्तावित
24	हार्टीकल्चरिस्ट	0			छत्तीसगढ़ शासन के समकक्ष सेवा के अधिकारी की प्रतिनियुक्ति/संविदा से ।	नवीन पद प्रस्तावित
25	जन संपर्क अधिकारी	0			छत्तीसगढ़ शासन के समकक्ष सेवा के अधिकारी की प्रतिनियुक्ति/संविदा से ।	नवीन पद प्रस्तावित
26	लेखापाल	16		100 प्रतिशत	मण्डल के सेवा सदस्यों के अस्थायी स्थानांतरण द्वारा लेखा परीक्षा उत्तीर्ण होने के शर्त के साथ की जायेगी । मण्डल की लेखा परीक्षा उत्तीर्ण या अधिनस्थ लेखा सेवा का भाग–1 उत्तीर्ण हो ।	—
27	ऑडिटर	0		100 प्रतिशत	मण्डल के सेवा सदस्यों के अस्थायी स्थानांतरण द्वारा लेखा परीक्षा उत्तीर्ण होने के शर्त के साथ की जायेगी । मण्डल की लेखा परीक्षा उत्तीर्ण या अधिनस्थ लेखा सेवा का भाग–1 उत्तीर्ण हो ।	नवीन पद प्रस्तावित

1	2	3	4	5	6	7
28	**मिडिया मैनेजर**	0			छत्तीसगढ़ शासन के समकक्ष सेवा के अधिकारी की प्रतिनियुक्ति/संविदा से ।	नवीन पद प्रस्तावित
29	**सहायक प्रोग्रामर**	0	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत		नवीन पद प्रस्तावित
30	स्टेनोग्राफर ग्रेड–2	3	–	100 प्रतिशत		–
31	मानचित्रकार	7				पद मृत संवर्ग में स्वीकृत है
32	रेंज ऑफिसर	0			छत्तीसगढ़ शासन के समकक्ष सेवा के अधिकारी की प्रतिनियुक्ति/संविदा से ।	नवीन पद प्रस्तावित
33	उप अभियंता (सिविल)	113	100 प्रतिशत	–		इनमें से 02 पद प्रतिनियुक्ति हेतु आरक्षित
34	उप अभियंता (विद्युत)	11	100 प्रतिशत			इनमें से 01 पद सांख्येत्तर
35	वर्क सुपरवाईजर	0			50 प्रतिशत संविदा/50 प्रतिशत प्लेसमेंट	नवीन पद प्रस्तावित
36	सहायक संपदा प्रबंधक	5		100 प्रतिशत		
37	स्टेनोग्राफर ग्रेड–3	6	25 प्रतिशत	75 प्रतिशत		(शीघ्रलेखक ग्रेड–3 हेतु विहित अर्हता पूर्ण करने पर)
38	सहायक मानचित्रकार	4		–		पद मृत संवर्ग में स्वीकृत है
39	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	1	100 प्रतिशत	–		
40	ऑटोकेड ऑपरेटर	0	50 प्रतिशत			(50 प्रतिशत संविदा)
41	वरिष्ठ सहायक	83	–	100 प्रतिशत		–
42	सहायक ग्रेड–3	100	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत		सहायक ग्रेड–3 हेतु विहित अर्हता पूर्ण करने पर

1	2	3	4	5	6	7
43	स्टेनोटायपिस्ट	2	100 प्रतिशत	—		
44	वाहन चालक	10	100 प्रतिशत	—		—
45	सहायक कार्यभारित	3	—	—		पद मृत संवर्ग में स्वीकृत है
46	विद्युतकार/विद्युतकार कार्यभारित	6	—	—		पद मृत संवर्ग में स्वीकृत है
47	वायरमेन	4	—	—		पद मृत संवर्ग में स्वीकृत है
48	समयपाल	5	—	—		पद मृत संवर्ग में स्वीकृत है
49	दफ्तरी	9	—	100 प्रतिशत		
50	प्लंबर	2	—	—		पद मृत संवर्ग में स्वीकृत है
51	कारपेंटर	3	—	—		पद मृत संवर्ग में स्वीकृत है
52	पंप चालक	37	—	—		पद मृत संवर्ग में स्वीकृत है
53	माली	2	—	—		पद मृत संवर्ग में स्वीकृत है
54	तकनीकीकर्मी	81	—	—		पद मृत संवर्ग में स्वीकृत है
55	सयंत्रकर्मी	27	—	—		पद मृत संवर्ग में स्वीकृत है
56	स्वीपर	26	—	—		पद मृत संवर्ग में स्वीकृत है
57	मेसन	2	—	—		पद मृत संवर्ग में स्वीकृत है
58	भृत्य कार्यभारित	10	—	—		पद मृत संवर्ग में स्वीकृत है
59	भृत्य/चौकीदार	117	100 प्रतिशत	—		
60	दैनिक वेतनभोगी	133	—	—		पद मृत संवर्ग में स्वीकृत है

अनुसूची – तीन
[विनियम – 8 देखिये]

क्रमांक	पद का नाम	न्युनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हताएं	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1.	सहायक अभियंता {सिविल / विद्युत}	21 वर्ष	30 वर्ष (छ.ग. राज्य के मूल निवासी हेतु 35 वर्ष)	{अ} सिविल / विद्युत इंजीनियरिंग में उपाधि अथवा समकक्ष योग्यता	
2.	सहायक वास्तुविद्	21 वर्ष	30 वर्ष (छ.ग. राज्य के मूल निवासी हेतु 35 वर्ष)	{अ} आर्किटेक्ट में उपाधि अथवा समकक्ष योग्यता	
3.	सहायक प्रोग्रामर	21 वर्ष	30 वर्ष (छ.ग. राज्य के मूल निवासी हेतु 35 वर्ष)	{अ} कम्प्यूटर साइंस / आई.टी. इंजीनियरिंग में उपाधि अथवा समकक्ष योग्यता	
4.	उप अभियंता / वर्क सुपरवाईजर (सिविल / विद्युत)	18 वर्ष	30 वर्ष (छ.ग. राज्य के मूल निवासी हेतु 35 वर्ष)	न्यूनतम त्रिवर्षीय डिप्लोमा (सिविल / विद्युत) इंजीनियरिंग में उपाधि	
5.	स्टेनोग्राफर ग्रेड–3	18 वर्ष	30 वर्ष (छ.ग. राज्य के मूल निवासी हेतु 35 वर्ष)	1. मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल / विश्वविद्यालय से उच्चतर परीक्षा या (10+2) उत्तीर्ण या स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण या भरती नियम के अनुसार निर्धारित योग्यता । 2. मान्यता प्राप्त मंडल / संस्था या शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परिषद् से – (क) हिन्दी शीघ्रलेखक के लिए कमशः 100 शब्द तथा 30 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी शीघ्रलेखन तथा कम्प्यूटर में हिन्दी टाईप लेखन, परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने का प्रमाण–पत्र धारण करता हो ।	

क.	पद का नाम	न्युनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	शैक्षणिक योग्यता / अर्हता	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
6.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	18 वर्ष	30 वर्ष (छ.ग. राज्य के मूल निवासी हेतु 35 वर्ष)	1. कक्षा 12वीं (10+2) बोर्ड द्वारा उत्तीर्ण, **अथवा** कक्षा 10वीं बोर्ड द्वारा उत्तीर्ण एवं किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण, 2. डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में किसीं मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्षीय डिप्लोमा कम्प्यूटर में हिन्दी एवं अंग्रेजी में 8,000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति ।	
7.	ऑटोकेड ऑपरेटर	18 वर्ष	30 वर्ष (छ.ग. राज्य के मूल निवासी हेतु 35 वर्ष)	किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था से (10+2) अथवा समक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र तथा ऑटोकेड में डिप्लोमा होना चाहिए ।	
8.	सहायक ग्रेड–3	18 वर्ष	30 वर्ष (छ.ग. राज्य के मूल निवासी हेतु 35 वर्ष)	1. मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, 2. मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण–पत्र तथा, 3. कम्प्यूटर में हिन्दी टायपिंग का 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति होना चाहिए।	
9.	स्टेनोटायपिस्ट	18 वर्ष	30 वर्ष (छ.ग. राज्य के मूल निवासी हेतु 35 वर्ष)	1. मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल/विश्वविद्यालय से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या (10+2) उत्तीर्ण या स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण या भरती नियम के अनुसार निर्धारित योग्यता, 2. मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था से 25 शब्द प्रति मिनट की गति से कम्प्यूटर में हिन्दी टाईप लेखन परीक्षा उत्तीर्ण साथ ही हिन्दी शीघ्रलेखन में 60 शब्द प्रतिमिनट की गति, 3. मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण–पत्र तथा डाटा एन्ट्री का 5,000 की की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति होना चाहिए।	
10.	वाहन चालक	18 वर्ष	30 वर्ष (छ.ग. राज्य के मूल निवासी हेतु 35 वर्ष)	8वीं परीक्षा उत्तीर्ण एवं विधि मान्य वाहन चालक अनुज्ञपति (ड्राइविंग लाईसेन्स) धारण करता हो ।	
11.	भृत्य/ चौकीदार	18 वर्ष	30 वर्ष (छ.ग. राज्य के मूल निवासी हेतु 35 वर्ष)	5वीं उत्तीर्ण	

नोट :– 1. उपाधि अथवा डिप्लोमा का तात्पर्य किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से राज्य शासन द्वारा स्वीकृत एवं मान्य उपाधि एवं डिप्लोमा से है ।

2. जो पद मंडल स्थापना में, स्वीकृत नहीं है तथा जिनका विनियम में समावेश है, ऐसे पदों पर नियुक्ति, राज्य शासन से पद स्वीकृति होने के पश्चात् ही पदोन्नति की जा सकेगी ।

अनुसूची—चार

विनियम 11 देखिए

विभाग का नाम	पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति के लिए सेवा की न्यूनतम कालावधि	विभागीय पदोन्नति समिति का गठन	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल					
1	उपायुक्त	अपर. आयुक्त / मुख्य अभियंता	5 वर्ष का सेवाकाल.	राज्य शासन द्वारा समय—समय पर विभागीय पदोन्नति समिति का गठन किया जायेगा । **नोट** :— गठित समिति में अध्यक्ष को छोड़कर यदि अन्य कोई सदस्य अ.जा. / अ.ज.जा. प्रवर्ग का न हो तो एक सदस्य इस प्रवर्ग का मनोनित किया जायेगा।	
2	कार्यपालन अभियंता (सिविल)	उपायुक्त	5 वर्ष का सेवाकाल एवं सिविल इंजीनियरिंग में उपाधि		
3	सहायक वास्तुविद्	वास्तुविद्	5 वर्ष का सेवाकाल एवं आर्किटेक्चर में उपाधि		
4	लेखा अधिकारी	मुख्य लेखा अधिकारी	5 वर्ष का सेवाकाल		
5	संपदा अधिकारी	मुख्य संपदा अधिकारी	5 वर्ष का सेवाकाल		
6	प्रोग्रामर	सिस्टम विशलेषक	6 वर्ष का सेवाकाल		
7	सहायक अभियंता (सिविल)	कार्यपालन अभियंता (सिविल)	6 वर्ष का सेवाकाल एवं विभागीय लेखा परीक्षा उत्तीर्ण		
8	सहायक अभियंता (विद्युत)	कार्यपालन अभियंता (विद्युत)	6 वर्ष का सेवाकाल एवं विभागीय लेखा परीक्षा उत्तीर्ण		

1	2	3	4	5	6
9	ऑटोकेड ऑपरेटर	सहायक वास्तुविद्	8 वर्ष का सेवाकाल		
10	संपदा प्रबंधक / शाखा अधिकारी	लेखा अधिकारी / संपदा अधिकारी	5 वर्ष का सेवाकाल		
11	सहायक प्रोग्रामर	प्रोग्रामर	8 वर्ष का सेवाकाल		
12	उपअभियंता (सिविल) / मानचित्रकार	सहायक अभियंता (सिविल)	डिग्रीधारी उपअभियंताओं के लिए 8 वर्ष एवं डिप्लोमाधारी उप अभियंता / मानचित्रकार के लिए 12 वर्ष		
13	उपअभियंता (विद्युत)	सहायक अभियंता (विद्युत)	डिग्रीधारी उपअभियंताओं के लिए 8 वर्ष एवं डिप्लोमाधारी उप अभियंता के लिए 12 वर्ष		
14	लेखापाल	शाखा अधिकारी / संपदा प्रबंधक	5 वर्ष का सेवाकाल		
15	निज सचिव	स्टॉफ ऑफिसर	5 वर्ष का सेवाकाल		
16	स्टेनोग्राफर ग्रेड –2	निज सचिव	5 वर्ष का सेवाकाल		
17	डाटा एंट्री ऑपरेटर	सहायक प्रोग्रामर	8 वर्ष का सेवाकाल		

1	2	3	4	5	6
18	वरिष्ठ सहायक / सहा. संपदा प्रबंधक	लेखापाल / ऑडिटर	5 वर्ष का सेवाकाल एवं विभागीय लेखा परीक्षा उत्तीर्ण		
19	स्टेनोग्राफर–3	स्टेनोग्राफर ग्रेड–2	5 वर्ष का सेवाकाल		
20	सहायक मानचित्रकार	मानचित्रकार	12 वर्ष की सेवाकाल		
21	स्टेनोटायपिस्ट	स्टेनोग्राफर ग्रेड–3	5 वर्ष का सेवाकाल		
22	वरिष्ठ सहायक	सहायक संपदा प्रबंधक	5 वर्ष का सेवाकाल		
23	सहायक ग्रेड–3	वरिष्ठ सहायक	5 वर्ष का सेवाकाल		
24	भृत्य / चौकीदार / दफ्तरी / अन्य समकक्ष चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	सहायक ग्रेड–3	5 वर्ष का सेवाकाल		सहायक ग्रेड–3 के लिए विहित अर्हता पूर्ण करने पर ।
25	भृत्य / चौकीदार / दफ्तरी / अन्य समकक्ष चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	दफ्तरी	5 वर्ष का सेवाकाल		

नोट :– जो पद मंडल स्थापना में, स्वीकृत नहीं है तथा जिनका विनियम में समावेश है, ऐसे पदों पर पदोन्नति, राज्य शासन से पद स्वीकृति होने के पश्चात् ही पदोन्नति की जा सकेगी ।

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बेमेतरा, दिनांक 18 मई 2012

क्रमांक 01/अ-82/2012.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बेमेतरा	बेमेतरा	जेवरी प.ह.नं. 32	0.34	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, राजनांदगांव (छ.ग.)	जेवरी-बहिंगा मार्ग पर स्थित करूवा पर पुल मय पहुंच मार्ग निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रुति सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 21 मई 2012

क्रमांक/1122/अ.भू.-अ.प्र./02/अ-82/बोरई/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	दुर्ग	बोरई प.ह.नं. 03	0.41	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	गनियारी जलाशय हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 21 मई 2012

क्रमांक/1125/अ.भू.-अ.प्र./03/अ-82/बोरई/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	दुर्ग	बोरई प.ह.नं. 03	0.06	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	नगपुरा व्यपवर्तन हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीना बाबा साहेब कंगाले, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

बलौदाबाजार, दिनांक 9 मई 2012

क्रमांक 1158/भू-अर्जन प्र.क्र. 4 अ/82 वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार	लवन	चिरपोटा प. ह. नं. 24	5.243	कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना, द्वितीय चरण कार्य संभाग, रायपुर.	राजीव (समोदा-निसदा) व्यपवर्तन योजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत मुख्य नहर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

बलौदाबाजार, दिनांक 9 मई 2012

क्रमांक 1164/भू-अर्जन प्र.क्र. 5 अ/82 वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार	पलारी	सलौनी प. ह. नं. 28	4.741	कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना, द्वितीय चरण कार्य संभाग, रायपुर.	राजीव (समोदा-निसदा) व्यपवर्तन योजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत मुख्य नहर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश सुकुमार टोप्पो, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 7 अप्रैल 2012

क्रमांक 03 क/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जांजगीर	मड़वा प.ह.नं. 41	20.57	कार्यपालन यंत्री, (सिविल) भू-अर्जन 2×500 मे. वा. मड़वा तेन्दूभाठा ताप विद्युत परियोजना, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	2×500 मेगावाट मड़वा तेन्दूभाठा ताप विद्युत परियोजना के अन्तर्गत सीधी सड़क निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चन्द्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 21 मई 2012

क्रमांक/113/भू.अ./अ.वि.अ./26 अ./82 वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-आरंग
- (ग) नगर/ग्राम-बरौदा, प.ह.नं. 72/15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.37 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1395	4.66
	1620	0.13
	1622	0.33
	1634	0.44
	1754	0.19
	1758	0.18
	1759/2	0.19
	1790	0.34
	1826	0.08
	1911	1.33
	1918	0.17
	1919	0.33
योग	12	8.37

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-नया रायपुर योजनांतर्गत रेलवे लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 अप्रैल 2012

क्रमांक 02.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-अकलतरा
- (ग) नगर/ग्राम-कोटमीसोनार, प. ह. नं. 04
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.405 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	2675/6	0.405
योग	1	0.405

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कर्रानाला जलाशय योजना डूबान के अंतर्गत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 अप्रैल 2012

क्रमांक 04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-अकलतरा
- (ग) नगर/ग्राम-कल्याणपुर, प. ह. नं. 03
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.405 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	95	0.073
	108	0.332
योग	2	0.405

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कर्रानाला जलाशय योजना डूबान के अंतर्गत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चन्द्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 8 मई 2012

क्रमांक/4447/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-लक्ष्मणभरदा, प. ह. नं. 27
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.142 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	124/8	0.061
	124/9	0.081
योग	2	0.142

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-झूरानाला एनीकट निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 8 मई 2012

क्रमांक/4448/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-पठानढोड़गी, प. ह. नं. 55
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.081 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	369/8	0.081
योग	1	0.081

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोलियारी जलाशय के नहर नाली निर्माण हेतु. (पूरक प्रकरण)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 8 मई 2012

क्रमांक/4449/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-राजनांदगांव.
 (ख) तहसील-छुरिया
 (ग) नगर/ग्राम-घोठिया, प. ह. नं. 20
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.057 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	134/4	0.057
योग	1	0.057

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घोठिया जलाशय के नहर नाली निर्माण हेतु. (पूरक प्रकरण)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 16 मई 2012

क्रमांक/4644/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-राजनांदगांव
 (ख) तहसील-छुरिया
 (ग) नगर/ग्राम-घोठिया, प. ह. नं. 20
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.691 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	105/6	0.692
	7/3	0.316
	105/3	0.081
	7/4	0.214
	105/4	0.162
	7/1	0.186
	105/1	0.243
	1/4	1.174
	105/5	0.623
योग	9	3.691

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घोठिया जलाशय के अन्तर्गत डुबान हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 10 अप्रैल 2012

क्रमांक 8/अ-82/09-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-बिलासपुर
 (ख) तहसील-मरवाही
 (ग) नगर/ग्राम-गुल्लीडांड़
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-10.19 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
498	0.38
506	0.34
507/2	0.10
533	0.96
509/1	0.36
507/1	0.32
530/2	0.31
520/16	0.10
521/1	0.13
520/7	0.13
520/9	0.09
520/4	0.07
520/5	0.03
520/6	0.11
522	0.08
520/8	0.32
520/10	0.09
520/13	0.01
520/14	0.01
520/15	0.01
520/17	0.02
520/12	0.01
521	0.22
510/1	0.20
531/2	0.61
532/2	0.04
525/1	0.07
525/2	0.51
529/3	0.04
529/4	0.24
529/6	0.04
534	0.07
562/1, 562/2	0.54
562/3	0.03
562/5	0.01
566	0.62
571/1	1.04
569/1	0.24
569/2	0.04
569/3	0.07
570/2	0.14
570/3	0.03
577	0.02
578	1.31
598/3	0.08
योग 46	10.19

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पेण्ड्रा मरवाही मनेन्द्रगढ़ मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला कोण्डागांव (छ.ग.)

कोण्डागांव, दिनांक 03 मई 2012

क्रमांक/1166/ज्ये.लि.-1/2012.—जिले में गर्मी एवं वर्षा के मौसम प्रारंभ होते ही जल-जनित संक्रामक रोग जैसे-उल्टी-दस्त, आन्त्रशोध, पीलिया आदि के फैलने का खतरा प्रारंभ हो जाता है. गर्मी एवं वर्षा ऋतु में इन बीमारियों के महामारी का रूप धारण करने की संभावना रहती है और इन पर प्रभावशाली तरीके से नियंत्रण के उपाय हर स्तर पर किया जाना आवश्यक है. अतः छत्तीसगढ़ हैजा, जठर, आंत्रशोध तथा संक्रामक यकृत शोध अधिनियम 1983 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग में लाते हुए मैं हेमन्त कुमार पहारे, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी उक्त विनियम के नियम-3 के अधीन संपूर्ण कोण्डागांव जिला को 6 माह (छः माह) की अवधि के लिए अधिसूचित क्षेत्र घोषित करता हूं.

(2) जिले के विभिन्न शहरों, हाट-बाजारों, तहसील एवं विकासखण्ड मुख्यालय के बाजारों, बस स्टैण्डों के होटलों, दुकानों, ग्रामीण क्षेत्रों के हाट-बाजारों एवं अन्य साधनों से सड़े-गले फल, मानव खाद्य के लिए रोगग्रस्त या अशुद्ध या अस्वास्थ्यकर साग सब्जियां, मिष्टान, मांस, मछलियां, अनाज, रोटी, मानवीय उपयोग के लिए पेय पदार्थ जैसे-बर्फ, आईस्क्रीम, शीतल पेय, गंदा गन्नारस आदि बेचे जाने से हैजा, आंत्रशोध,

पेचिस एवं संक्रामक बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है. इस प्रकार की हानिकारक वस्तुओं की बिक्री रोकने के लिए छ.ग. आपत्तिक हैजा, जठर, आंत्रशोध तथा संक्रामक यकृत शोध विनियम 1993 के नियम (2) (ज) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों अर्थात् मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कोण्डागांव, खण्ड चिकित्सा अधिकारी एवं जिले के समस्त नगरपालिका क्षेत्र/नगर पंचायत अधिकारियों को निरीक्षण एवं सघन अभियान व प्रचार-प्रसार चलाने के लिए निर्देश दिए जाते हैं.

(3) जिले के महत्वपूर्ण बस स्टैण्ड एवं सार्वजनिक स्थानों के यात्रियों को हैजा का टीका लगाने की समुचित व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा की जाएगी.

(4) यह आदेश पूर्व सावधानी उपाय के रूप में प्रसारित किया जा रहा है.

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.

हेमन्त कुमार पहारे,
कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा), रायपुर, छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 27 मार्च 2012

क्रमांक क/खलि/तीन-1/09/538.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 1996 के नियम (12) के तहत, जिला रायपुर स्थित निम्नानुसार सूची में दर्शाये गये क्षेत्र, चूनापत्थर गौण खनिज के उत्खनिपट्टा स्वीकृति हेतु, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से 30 (दिन) पश्चात्, आवेदन हेतु उपलब्ध होगा. प्राप्त आवेदन पत्रों पर नियमानुसार जांच उपरांत आवेदित क्षेत्र में उत्खनिपट्टा स्वीकृति हेतु विचार किया जायेगा.

क्र.	ग्राम का नाम	प. ह. नं.	तहसील	खसरा नंबर	रकबा	अन्य विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	मंदिरहसौद	73/14	आरंग	653/1, 653/3 (निजी भूमि)	3.60 एकड़	श्रीमती लीला बेन पटेल को दिनांक 22-03-2002 से 21-03-2012 तक स्वीकृत चूनापत्थर उत्खनिपट्टा दिनांक 21-3-2012 से निरस्त होने के कारण क्षेत्र रिक्त है.

रोहित यादव,
कलेक्टर.

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
महानदी खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर (छ. ग.)

रायपुर, दिनांक 15 मई 2012

क्रमांक एफ 37-15/तीन (एक)-3/पंचा./2012/516.—छ.ग. पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 42 एवं सहपठित छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा प्रदेश के समस्त

जिलों के परिशिष्ट-एक में दर्शाये गये जनपद पंचायत सदस्यों/सरपंचों/पंचों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिये उप निर्वाचन हेतु छ.ग. पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 28 की अपेक्षा अनुसार निम्नलिखित समय-अनुसूची (कार्यक्रम) विहित करता है :—

क्र. (1)	कार्यवाही (2)	संबंधित नियम (3)	निर्धारित तारीख (4)	दिन (5)	समय (6)
1.	(I) निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन	28	21 मई 2012	सोमवार	प्रात: 10.30 बजे
	(II) नामनिर्देशन पत्र प्राप्त करना	28	21 मई 2012	सोमवार	प्रात: 10.30 बजे से
	(III) स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन.	29-क	21 मई 2012	सोमवार	प्रात: 10.30 बजे
	(IV) मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन	23	21 मई 2012	सोमवार	प्रात: 10.30 बजे
2.	नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख	28 (क)	28 मई 2012	सोमवार	अपरान्ह 3.00 बजे तक
3.	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जांच) करने की तिथि.	28 (ख)	29 मई 2012	मंगलवार	प्रात: 10.30 बजे से
4.	अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख	28 (ग)	31 मई 2012	गुरुवार	अपरान्ह 3.00 बजे तक
5.	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन.	38, 39	31 मई 2012	गुरुवार	अपरान्ह 3.00 बजे के बाद
6.	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन.	40	31 मई 2012	गुरुवार	प्रतीक आवंटन के तुरन्त बाद
7.	मतदान (यदि आवश्यक हो)	28 (घ)	10 जून 2012	रविवार	प्रात: 7.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक
8.	मतगणना (1) मतदान केन्द्रों पर	28 (ङ)	10 जून 2012	रविवार	मतदान के तुरन्त बाद
	(2) यदि आवश्यक हो तो तहसील/खण्ड मुख्यालय पर.		11 जून 2012	सोमवार	अपरान्ह 3.00 बजे से
9.	सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा (1) पंच, सरपंच/जनपद पंचायत सदस्य के मामले में.	28 (च)	13 जून 2012	बुधवार	प्रात: 9.00 बजे से (खंड मुख्यालय में)

हस्ता./-

(आई. आर. देहारी)
सचिव,
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
रायपुर.

परिशिष्ट-एक

त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन मई-जून 2012
रिक्त पदों की सांख्यिकी दिनांक 31 दिसम्बर 2011 की स्थिति में

क्र.	जिला	जिला पंचायत सदस्य	जनपद पंचायत सदस्य	सरपंच	पंच
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	बिलासपुर	0	0	9	36
2.	मुंगेली	0	0	6	7
3.	जांजगीर-चाम्पा	0	0	13	35
4.	कोरबा	0	0	1	22
5.	सूरजपुर	0	1	4	21
6.	बलरामपुर	0	2	1	5
7.	सरगुजा	0	0	7	25
8.	कोरिया	0	0	4	12
9.	रायगढ़	0	0	10	137
10.	जशपुर	0	0	4	15
11.	रायपुर	0	0	3	14
12.	बलौदाबाजार	0	1	7	23
13.	गरियाबंद	0	1	3	15
14.	महासमुन्द	0	0	3	23
15.	धमतरी	0	0	4	28
16.	बेमेतरा	0	0	3	16
17.	दुर्ग	0	0	5	14
18.	बालोद	0	0	6	24
19.	राजनांदगांव	0	0	8	38
20.	कबीरधाम	0	0	7	11
21.	कोण्डागांव	0	0	2	9
22.	बस्तर	0	0	5	5
23.	नारायणपुर	0	0	2	2
24.	कांकेर	0	3	8	130
25.	दन्तेवाड़ा	0	0	1	2
26.	सुकमा	0	1	0	0
27.	बीजापुर	0	2	3	175
	योग	**0**	**11**	**129**	**844**

कार्यालय, रिटर्निंग ऑफिसर, छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउन्सिल, रायपुर
क्वार्टर नम्बर-88, सेक्टर-2, गीतांजली नगर, रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 17 मई 2012

क्रमांक/सी.जी./फार्मा/निर्वा/2012/65.— कार्यालय निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउन्सिल, रायपुर के अधिसूचना क्रमांक सी.जी./फार्मा/निर्वा/2012/02 दिनांक 04-05-2012 के तहत फार्मेसी अधिनियम, 1948 की धारा 19 के खण्ड (ए) के अधीन छ: (6) सदस्यों का निर्वाचन किया जाना है. इस हेतु प्राप्त सभी 45 नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा के पश्चात् वैध पाये गये नाम निर्दिष्ट उम्मीदवारों के नाम निम्नानुसार है :—

01. श्री अश्वनी कुमार गुर्देकर, रायपुर
02. श्री प्रेमेश्वर कुमार देवांगन, कोरबा
03. श्री अशोक कुमार, दुर्ग
04. श्री लव प्रकाश देवांगन, बिलासपुर
05. श्री कैलाश चन्द्र अग्रवाल, रायगढ़
06. श्री सतीश कुमार सोनी, दुर्ग
07. श्री फकीर चन्द साहू, जांजगीर
08. श्री चंदन डडसेना, महासमुन्द
09. श्री वासुदेव जोतवानी, रायपुर
10. श्री प्रभात बी. साहू, बिलासपुर
11. श्री योगेश डिगरास्कर, बिलासपुर
12. श्री दीपेन्द्र कुमार सोनी, रायपुर
13. श्री भगवान दास रेलवानी, रायपुर
14. संजय महोबे, बिलासपुर
15. श्री राज कुमार अग्रवाल, रायगढ़
16. श्री विजय कुमार जेठानी, रायपुर
17. श्री रामेश्वर गुप्ता, बिलासपुर
18. श्री संदीप चन्द्राकर, दुर्ग
19. श्री विनोद कुमार गुप्ता, रायपुर
20. श्री राधेश्याम, अम्बिकापुर, सरगुजा
21. श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल, बिलासपुर
22. श्री तोषण कुमार चन्द्राकर, रायपुर
23. श्री हरजीत सिंह हूरा, रायपुर
24. श्री पी. चन्द्रशेखर मुदलियार, बिलासपुर
25. श्री अश्वनी विग, रायपुर
26. श्री सेनापति जग्गी, रायपुर
27. श्री अजय सिंह राजपूत, दुर्ग
28. श्री मयूर पंजवानी, रायपुर
29. श्री सर्वजीत सिंह धनजल, रायपुर
30. अमर लाल पंजवानी, रायपुर
31. श्री सतराम वासानी, धमतरी

अवैध पाये गये नाम निर्दिष्ट उम्मीदवारों के नाम निम्नानुसार है :—

01. श्री सुक चरण साहू, जांजगीर
02. श्री दीपक कुमार बिस्वास, कोरबा
03. श्री अविनेश चन्द्राकर, रायपुर
04. श्री केसर मल अग्रवाल, दुर्ग
05. श्री प्रधुमान कुमार बुधौलिया, रायपुर
06. श्री नित्यानन्द प्रधान, रायपुर
07. श्री कमल चन्द्राकर, रायपुर
08. श्री लोकेश कुमार नाहर, धमतरी
09. श्री राजीव अग्रवाल, दुर्ग
10. अंकिता गुप्ता, रायपुर
11. श्री अर्जुन दास पंजवानी, बिलासपुर
12. श्रीमती कल्पना माकड़े, रायपुर
13. श्री शकील लोहानी, महासमुन्द
14. परवेज अहमद सिद्दीकी, महासमुन्द

रायपुर, दिनांक 23 मई 2012

क्रमांक/सी.जी./फार्मा/निर्वा/2012/95.— कार्यालय निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउन्सिल, रायपुर के अधिसूचना क्रमांक सी.जी./फार्मा/निर्वा/2012/02 दिनांक 04-05-2012 के तहत फार्मेसी अधिनियम 1948 की धारा 19 के खण्ड (ए) के अधीन छ: (6) सदस्यों का निर्वाचन किया जाना है. दिनांक 17-05-2012 को नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा के पश्चात् 31 नाम निर्देशन पत्र वैध पाये गये. नाम निर्देशन वापसी की नियत तिथि 23-05-2012 को नौ उम्मीदवारों द्वारा नाम वापस लिया गया. अत: जिन 22 उम्मीदवारों के बीच फार्मेसी अधिनियम 1948 की धारा 19 के खण्ड (ए) के अधीन निर्वाचन किया जाना है उनके नाम निम्नानुसार है :—

01. श्री अजय सिंह राजपूत, दुर्ग
02. श्री अमर लाल पंजवानी, रायपुर
03. श्री अशोक कुमार, दुर्ग
04. श्री अश्वनी विग, रायपुर

05. श्री अश्वनी कुमार गुर्देकर, रायपुर
06. श्री भगवान दास रेलवानी, रायपुर
07. श्री चंदन डडसेना, महासमुन्द
08. श्री दीपेन्द्र सोनी, रायपुर
09. श्री फकीर चन्द साहू, जांजगीर
10. श्री कैलाश चन्द्र अग्रवाल, रायगढ़
11. श्री लव प्रकाश देवांगन, बिलासपुर
12. श्री प्रभात बी. साहू, बिलासपुर
13. श्री प्रेमेश्वर कुमार देवांगन, कोरबा
14. श्री राज कुमार अग्रवाल, रायगढ़
15. श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल, बिलासपुर
16. श्री संदीप चन्द्राकर, दुर्ग
17. श्री संजय महोबे, बिलासपुर
18. श्री सत राम वासानी, धमतरी
19. श्री सतीश कुमार सोनी, दुर्ग
20. श्री वासुदेव जोतवानी, रायपुर
21. श्री विनोद कुमार गुप्ता, रायपुर
22. श्री योगेश डिगरास्कर, बिलासपुर

वैध नाम निर्देशन पत्र वापस लिये जाने वाले उम्मीदवारों के नाम निम्नानुसार है :—

01. श्री रामेश्वर गुप्ता, बिलासपुर
02. श्री राधेश्याम, सरगुजा
03. श्री मयूर पंजवानी, रायपुर
04. श्री सेनापति जग्गी, रायपुर
05. श्री सर्वजीत सिंह धनजल, रायपुर
06. श्री तोषण चन्द्राकर, रायपुर
07. श्री हरजीत सिंह हूरा, रायपुर
08. श्री विजय जेठानी, रायपुर
09. श्री बी. चन्द्रशेखर मुदलियार, बिलासपुर

आर. आर. साहनी,
रिटर्निंग आफिसर.